

फारम - VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या - ८(४)

आपको आवेदन संख्या -४१....., तिथि - १०.२.१८... के संदर्भ में श्रीमती/श्री सुनील शर्मा के लिए
 (क) भवन के निर्माण ३५८५६ भवन के निर्माण ५१८५८१८८८८
 (ख) भवन के पुनर्निर्माण ३५८५६ भवन के पुनर्निर्माण ५१८५८१८८८८
 (ग) भवन के परिवर्तन ३५८५६ भवन के परिवर्तन ५१८५८१८८८८

.....६.१.८.१.५...... नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित२.१.६.८.१..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ३.१.६.८.१.८.१..... प्लॉट न० (सी०एस०) ९.४.१., ९.३.७....., प्लॉट न० (एम०एस०पी०)१....., खाता न० ३.२.७.५.०.३ होलिंग नं०१....., गाँव१....., मोहल्ला ५.१.५.३.४....., वार्ड न० ३.७..... के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से ३.१.९.५.१.५.....१.....४.७.४.५.५.५.५.५..... प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया३.४.८.७.७.१..... वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि६.७.... मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ६.१.८.१.५.१..... नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में१..... मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमात्र होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
२७/१४ अप्रिल, हाजीपुर

ज्ञापांक सं. 61, दिनांक २२.१२.१८
 प्रतिलिपि : अनुमोदित योजनाओं की ०३ प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री रमेश बहादुर को

नगर कार्यालय पदाधिकारी,
नगर परिषद् वज्रपाल